

प्राचार्य का कार्यालय  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

आदेश

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-453 (17) दिनांक-13.07.2022 के निर्देश के आलोक में निहित शर्तों के अधीन डॉ० रूपम कुमारी (पी०जी० उत्तीर्ण, MD-Microbiology) ने इस चिकित्सा के माईक्रोबायोलॉजी विभाग में ट्यूटर (पी०जी० बॉण्ड) के रिक्त पद पर अपना योगदान दिनांक - 22.07.2022 के पूर्वा० में दिए हैं, जिसे योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आप विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायोलॉजी विभाग के निदेशानुसार अपने कार्य का सम्पादन करेंगी। यह योगदान स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-450 (1) दिनांक-15.04.2017 से आच्छादित है।

विदित हो कि डॉ० रूपम कुमारी ने स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक-696 (17) दिनांक-25.08.2020 के आलोक में इस चिकित्सा महाविद्यालय में दिनांक-18.09.2020 को प्रथम योगदान दिया था, परन्तु योगदान के उपरान्त वे अनियमित रूप से यदा-कदा अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहीं। स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-620 (17) दिनांक-12.08.2021 के आलोक में डॉ० रूपम कुमारी ने पुनः अपना योगदान माईक्रोबायोलॉजी विभाग में दिनांक-21.08.2021 को दी एवं सिर्फ दिनांक-27.08.2021 को अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहीं एवं उसके पश्चात लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहीं हैं।

ह०/-  
प्राचार्य

ज्ञापांक:- 463/22  
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 23/7/2022

- 1) अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 2) डॉ० अमरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, निदेशक प्रमुख (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्र संख्या - 453 (17) दिनांक - 13.07.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 3) विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 4) संबंधित चिकित्सक, माईक्रोबायोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 5) Estate Officer/प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/पुस्तकालय सचिव, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6) बरसर/लेखापाल, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 7) कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 8) महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 9) कॉलेज वेबसाइट।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर